न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2021/80 दायरा दिनांक : 28.06.2021

उनवान

1. कमलीबाई उर्फ कमला पुत्री श्योराम पत्नि श्री रामलाल, जाति मीणा, निवासी छत्रगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान। (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–
   1/1. चन्द्रसेन आयु 47 वर्ष पुत्र श्री रामलाल, जाति मीणा, निवासी छत्रगंज, तहसील किशनगंज, जिला बाराँ राजस्थान।
   1/2. राजाराम आयु 42 वर्ष पुत्र श्री रामलाल, जाति मीणा, निवासी छत्रगंज, तहसील किशनगंज, जिला बाराँ राजस्थान।
   1/3. कांतिबाई आयु 40 वर्ष पुत्री श्री रामलाल, जाति मीणा, निवासी छत्रगंज, तहसील किशनगंज, जिला बाराँ राजस्थान।
   1/4. कालूलाल पुत्र श्री रामलाल, जाति मीणा, निवासी छत्रगंज, तहसील किशनगंज, जिला बाराँ राजस्थान। (मृतक) जर्ये कायम मुकामान :–
   1/4/1. चन्द्रीबाई आयु 43 वर्ष पत्नि कालूलाल मीणा, निवासी छत्रगंज, तहसील किशनगंज, जिला बाराँ राजस्थान।
   1/4/2. कौशल पुत्र कालूलाल मीणा, निवासी छत्रगंज, तहसील किशनगंज जिला बाराँ राजस्थान।
   1/4/3. ज्योति आयु 24 वर्ष पुत्री कालूलाल मीणा, निवासी छत्रगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां राजस्थान।

.... अपीलांट

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री श्योराम, जाति मीणा, निवासी छत्रगंज, तहसील किशनगंज, जिला बाराँ राजस्थान।
2. कन्याबाई आयु 75 वर्ष पुत्री श्री श्योराम पत्नि रामसिंह जाति मीणा, निवासी छत्रगंज, तहसील किशनगंज, जिला बाराँ राजस्थान।
3. द्रोपदीबाई पुत्री श्री श्योराम पत्नि मोहनलाल, जाति मीणा, निवासी छत्रगंज, तहसील किशनगंज, जिला बाराँ राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज, जिला बाराँ राजस्थान।

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री कृष्णकांत शर्मा अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 08.08.2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 99/2011 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.08.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम रामबिलास पटवार हल्का छत्रगंज, तहसील किशनगंज में खाता संख्या नई 91 पुरानी 81 खसरा नं. 544 रकबा 35.00 बीघा, खसरा नं. 545 रकबा 4.00 बीघा, खसरा नं. 615 रकबा 0.15 बीघा, खसरा नं. 631 रकबा 1.02 बीघा, खसरा नं. 601 रकबा 10.17 बीघा, खसरा नं. 620 रकबा 3.03 बीघा, खसरा नं. 671 रकबा 19.01 बीघा कुल 7 किता की 74 बीघा 1 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.08.2019 से वाद वादी डिक्री किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों से परे होने से काबिल खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेजों का समुचित विवेचन नहीं करके उक्त निर्णय करने में भारी भूल की है, इस कारण उक्त निर्णय निरस्तनीय है। वाके ग्राम रामबिलास, पटवार हल्का छत्रगंज, तहसील किशनगंज, जिला बारां की आराजी खाता संख्या नयी 91 पुरानी 81 कुल किता 7 कुल रकबा 74 बीघा 1 बिस्वा भूमि में अपीलांटगण कम 1 ता 4 की मां मृतक कमलाबाई का 1/4 हिस्सा आराजी पर एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 3 का भी 1/4, 1/4 हिस्सा आराजी पर सदैव से कब्जा काश्त रहा है एवं चारों ही इस आराजी के रेकार्डेड खातेदार है एवं चारों का बराबर बराबर हक व हिस्सा उक्त आराजी में रहा है एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 अपीलांटगण की काश्त व्यवस्था में बाधा पैदा करते हैं एवं सीमाबन्दी, सिंचाई शुल्क तथा भू–सुधार को लेकर विवाद करते हैं जिसके लिए काउण्टर क्लेम अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर ध्यान न देकर निर्णय करने में भारी कानूनी भूल की है। इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। उक्त विवादित आराजी अपीलांटगण व रेस्पोडेन्ट के संयुक्त खातेदारी की आराजी है किन्तु रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा न्यायालय को गुमराह करके अपने पक्ष में उक्त आदेश करवा लिया। वास्तविकता यह है कि रेस्पोडेन्ट कम 1 मूल खातेदार श्योराम का वैध पुत्र नहीं है बल्कि छोटाबाई के साथ उसके पूर्व पति के पुत्र होने से गैलड के रूप में श्योराम के पास आया था तथा श्योराम की मृत्यु होने पर राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर अपना नाम उक्त विवादित आराजी में बतौर खातेदार श्योराम के पुत्र के रूप में अपना नाम दर्ज करवा लिया, इसी कारण वक्त इंतकाल उसने श्योराम की पुत्रियों का नाम खातेदारी मे दर्ज होने में कोई आपत्ति नहीं की तथा उसने अपनी मां छोटाबाई के फौत होने पर भी इंतकाल नं. 131 दिनांक 20.07.2011 के खोले

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जाने एवं सभी का नाम 1/4 हिस्सा दर्ज होने पर भी कोई आपत्ति नहीं की एवं न ही उक्त इंतकाल को किसी न्यायालय में चुनौती दी, क्योंकि वह जानता था कि उसका नाम उसने गलत तथ्यों के आधार पर राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर उक्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज करवाया है एवं यदि उक्त नामान्तरणों को चुनोती दी गई तो उसके श्योराम के वैध पुत्र न होने का तथ्य सबके सामने आ जाएगा तथा वह उक्त आराजी से वंचित हो जाएगा। किन्तु कई वर्ष बीत जाने के बाद रेस्पोंडेंट कम 1 द्वारा मिथ्या तथ्यों के आधार पर उक्त वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर न्यायालय को गुमराह करके अपने पक्ष मे उक्त निर्णय करवा लिया, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अपीलांटगण रेस्पोडेन्ट ने मिलकर अपनी संयुक्त खातेदारी की आराजी में से अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर निरन्तर काश्त व्यवस्था की हुई है, उक्त आराजी श्योराम के तन्हा खातेदारी की थी एवं उनके मरने के बाद से उक्त आराजी में अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 3 का बराबर बराबर हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो अपने अपने हिस्से की काश्त व्यवस्था व देखरेख करते चले आ रहे हैं किन्तु अब रेस्पोडेन्ट कम 1 के मन में बदयान्ति आ जाने से वह अपीलांटगण की हक व हिस्से की आराजी की काश्त व्यवस्था में बाधा पैदा करता है इस कारण अपीलांटगण अपने खाते की आराजी को पृथक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा कर पृथक लगान निर्धारण करवा पाने के अधिकारी व नालिशी है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर कतई गौर न करके मनमर्जी रेस्पोडेन्ट कम 1 के पक्ष मे फैसला सुना कर भारी कानूनी त्रूटि की है, इस कारण निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो उक्त काश्त व्यवस्था पर कोई ध्यान दिया गया एवं न ही वर्तमान राजस्व रिकार्ड पर कोई गोर किया गया। मात्र रेस्पोडेन्ट कम 1 के काउण्टर क्लेम पर अंकित तथ्यों को ही सही मानकर उस पर अपना निर्णय सुना दिया गया है, जबकि श्योराम की मृत्यू के बाद से रेस्पोडेन्ट कम 1 के मन में बदयान्ति आ गई और उसने इस बात का गलत फायदा उठाने के उद्देश्य से गैलड होने के बावजूद उक्त आराजी में बतौर पुत्र अपना नाम दर्ज करवा लिया एवं अब मिथ्या तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र पेश किया, जिसका काउण्टर क्लेम अपीलांटगण की माता ने पेश किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर ध्यान न दे कर उक्त निर्णय पारित करने में न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों की अवहेलना की है, इस कारण उक्त निर्णय खारिज होने योग्य है।

उक्त विवादित आराजी पर अपीलांटगण व रेस्पोडेन्ट कम 1 ता 3 वास्तविक रूप से अपने अपने हिस्से पर काफी अधिक समय से निर्बाध रूप से काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं एवं आज तक उक्त आराजी का कोई रेकार्डेड बंटवारा नहीं हुआ है इस कारण उक्त आराजीयात का बंटवारा होने से पूर्व रेस्पोडेन्ट अपीलांटगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट कम 1 का वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अनुसार उक्त विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा बनता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रेस्पोडेन्ट कम 1 का उक्त आराजी में सम्पूर्ण हिस्सा निर्धारित कर दिया है, जो न केवल रेकार्ड बल्कि विधि के विरूद्ध भी होने से त्रुटि पूर्ण निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व शपथ पत्र के द्वारा सारा मामला पक्ष में साबित करने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने दुर्भावना पूर्वक उक्त आदेश एवं निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.08.2019 को निरस्त फरमा कर अपीलांटगण के 1/4 हिस्से की आराजी को राजस्व रेकार्ड में पृथक से दर्ज करने का आदेश फरमाया जाने एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 के गैलड होने के प्रकाश में पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने की कृपा करें।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 26.03.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीन बहन व भाई के पक्ष में फौती नामान्तकरण से 1/4, 1/4 हिस्सा निर्धारित किया है। रेस्पोडेंट वादी की माँ के साथ गैलड आया था। रेस्पोडेंट श्योराम का वास्तविक पुत्र नहीं है। श्योराम के तीन वास्तविक पुत्रियां है। जब नामान्तरकरण दर्ज हुई उस समय वादी/रेस्पोडेंट ने कोई आपत्ति नहीं की और ना ही अपील की। रेस्पोडेंट वादी ने बाद में दावा पेश किया कि हम अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिसमें पुत्रियों का नाम गलत दर्ज हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। हम वादग्रस्त आराजी के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। हमें सुनवायी का अवसर देकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाये। अतः अपील स्वीकार की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट कम 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् पेश कर कथन किया है कि ग्राम रामबिलास पटवारा हल्का छत्रगंज तहसील किशनगंज में खाता संख्या नई 91 पुरानी 81 की कुल किता 7 की 74 बीघा 01 बिस्वा वादग्रस्त आराजी स्थित है। वादग्रस्त आराजी का खातेदार पूर्व में राधेश्याम लोटूलाल जाति मीणा निवासी रामबिलास था एवं वादी की उक्त आराजी अपने पिता श्योराम को प्राप्त हुई। वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 3 के पिता श्योराम की मृत्यु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होने के बाद हुई है। श्योराम के मरे हुए करीबन 12 वर्ष हो चुके है। श्योराम की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 763 राजस्व अधिकारियों ने बिना जांच पड़ताल किये खोलकर तस्दीक कर दिया और प्रतिवादी कम 1 ता 3 का नाम वादी के साथ संयुक्त रूप से अंकित कर दिया। वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 3 जाति से मीणा है और इन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है क्योंकि मीणा जाति जनजाति के अन्तर्गत आती है इसलिये श्योराम की मृत्यु के पश्चात जो नामान्तरण संख्या 763 राजस्व अधिकारियों ने खोलकर तस्दीक किया है व प्रारंभ से ही नल एण्ड वॉइड है इसलिए उपरोक्त आराजी नामान्तकरण 763 को निरस्त करवाकर संपूर्ण वादग्रस्त आराजी को अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी कम 1 ता 3 का नाम हटवाने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर इस आशय की डिक्री फरमायी जावे कि वादग्रस्त आराजी 74 बीघा 01 बिस्वा वाके ग्राम रामबिलास का नामांतकरण 763 निरस्त किया जाकर वादी को चालू राजस्व रिकार्ड में तन्हा खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त मे दखलदांजी नहीं करे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2019 से अपने निर्णय में अंकित किया वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार योग्य है। अतः ग्राम रामबिलास पटवार हल्का छत्रगंज तहसील किशनगंज में खाता संख्या नई 91 पुरानी 81 खसरा नं. 544 रकबा 35 बीघा, खसरा नं. 545 रकबा 4 बीघा, खसरा नं. 615 रकबा 0.15 बीघा, खसरा नं. 631 रकबा 1.02 बीघा, खसरा नं. 601 रकबा 10.17 बीघा, खसरा नं. 620 रकबा 3.03 बीघा, खसरा नं. 671 रकबा 19.01 बीघा कुल 7 किता की 74 बीघा 01 बिस्वा आराजी का वादी राधेश्याम पुत्र श्योराम जाति मीणा को खातेदार घोषित किया जाता है। निर्णयानुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी संवत 2066 से 2069 ग्राम रामबिलास, तहसील किशनगंज, जिला बारां प्रदर्श पी 2 के अनुसार खाता सं. 91 कुल किता 7 कुल रकबा 74.01 बीघा आराजी वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के खाते दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 19.12.2012 के अनुसार प्रतिवादी कम 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील वादी ने नो आब्जेक्शन करने

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
उप-खण्ड अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर एक तरफा कार्यवाही के आदेश निरस्त करते हुए प्रतिवादी नं. 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा मय काउंटर क्लेम रिकार्ड पर लेते हुए प्रति वकील वादी को दिलवायी गई। प्रतिवादी नं. 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा मय काउंटर क्लेम में प्रतिवादी अपीलांट ने वादी राधेश्याम को श्योराम का पुत्र नहीं होने या श्योराम की दूसरी पत्नी छोटाबाई के साथ गैलड आने के तथ्यों का अंकन नहीं किया है। इसके विपरीत जवाबदावे की मद नं. 2 में यह अंकित किया है कि विवादग्रस्त आराजी के खातेदार पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी कम 1 ता 3 के पिता श्योराम पुत्र लोडूराम था, वादी एवं प्रतिवादीगण को उक्त आराजी अपने पिता से उत्तराधिकार में 1/4, 1/4 हिस्सा अनुसार प्राप्त हुई है। इसी प्रकार काउंटर क्लेम की मद नं. 1 से 5 में विशेष आपत्तियों के बाद प्रतिवादी कम 1 व 2 ने ग्राम रामबिलास पटवार हल्का छतरगंज की आराजी कुल किता 7 कुल रकबा 74 बीघा 1 बिस्वा में 1/4, 1/4 हिस्से अनुसार हिस्सा पृथक किया जाकर पृथक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने तथा प्रतिवादी कम 1 व 2 के हिस्से की 1/4, 1/4 आराजी पर वादी को जबरन दखलअंदाजी न करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पबन्द करने का अनुतोष चाहा है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न प्रतिवादी कम 1 कमला के बयानों में भी स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि विवादित आराजी मेरे पिता के खाते की है। मेरे पिता के दो पत्नियां थी। एक मां के हम दो बहिने व एक भाई जगन्नाथ था, यह शादी वाली पत्नी थी, जो मर चुका है उसका नाम जगन्नाथ था। फिर दूसरी पत्नी नाते लाये उसके एक लडका राधेश्याम व द्रोपदी बाई पैदा हुए। द्रोपदी बाई फौत हो चुकी है। जिसके कायम मुकामान रिकार्ड पर मौजूद है। यह जमीन 74 बीघा के करीब है। जिसके हम चारों भाई, बहन राधेश्याम, कमला, कन्या बाई, द्रोपदी बाई रिकार्डेड खातेदार है। इस जमीन को पूरी को राधेश्याम व उसका लडका काश्त कर रहा है। मुझे हिस्सा नहीं दे रहा, राधेश्याम जबरदस्ती काश्त कर रहा है। मेरा हिस्सा 1/4 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जो पृथक किया जाकर मुझे कब्जा संभलाया जावे। सम्पूर्ण बयान में प्रतिवादी कम 1 अपीलांट ने वादी राधेश्याम के गैलड आने को लेकर कोई कथन नहीं किया, इसके विपरीत अपने पिता श्योराम की दूसरी पत्नी को एक लडका राधेश्याम व द्रोपदी बाई पैदा होने का कथन किया है।

प्रस्तुत वर्तमान अपील में प्रतिवादी कम 1 कमलाबाई के कायम मुकाम वारिसान ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.08.2019 को निरस्त करते हुए अपीलांट के 1/4 हिस्से की आराजी को राजस्व रिकार्ड में पृथक से दर्ज करने का आदेश फरमाये जाने एवं रेस्पोडेंट कम 1 के गैलड होने के प्रकाश में पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड करने का अनुतोष चाहा है परन्तु अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ है। अपीलांट द्वारा अपने जवाबदावे व काउंटर क्लेम में वादी राधेश्याम को अपने पिता श्योराम का पुत्र ना

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

होकर दूसरी पत्नी के साथ गैलड के रूप में आने के तथ्य पर विरोध करते हुए कोई तथ्य अंकित नहीं किया है। इसी प्रकार अपीलांट की माता प्रतिवादी कम 1 कमलाबाई ने अपने बयानों में भी इस सन्दर्भ में कोई बयान दर्ज नहीं करवाये हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य हैं, इनके ऊपर ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान लागू होते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री ओल्ड हिन्दू लॉ के प्रावधान के अनुरूप होने से यथावत रखा जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.08.2019 यथावत रखी जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/08/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा